

जाति जनगणना: आवश्यकता और चर्चा

यह एडिटरियल 04/10/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "[Bihar caste survey data released: A look at the complicated history of caste census](#)" लेख पर आधारित है। यह जाति जनगणना की आवश्यकता का विश्लेषण किया गया है।

प्रलम्ब के लिये:

जनगणना, सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, रोहिंगी आयोग।

मेन्स के लिये:

जाति जनगणना का महत्त्व, जाति जनगणना से संबंधित चुनौतियाँ, OBCs उपवर्गीकरण।

बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जारी किये गए जाति सर्वेक्षण के आँकड़ों ने एक बार फिर से

जाति जनगणना के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। हालाँकि, भारत की जनगणना द्वारा [अनुसूचित जातियों](#) और [अनुसूचित जनजातियों](#) पर आँकड़े प्रकाशित किये जाते रहे हैं, [अन्य पिछड़ा वर्ग \(Other Backward Classes- OBCs\)](#) एवं अन्य समूहों की आबादी का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

जनगणना एवं सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना:

- **भारत में जनगणना (Census in India):**
 - भारत में [जनगणना](#) की शुरुआत वर्ष 1881 के औपनिवेशिक अभ्यास के साथ हुई।
 - जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शक्तिवादियों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुँच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और [प्रसिमीन](#) अभ्यासों के लिये किया जाता है।
 - हालाँकि, इसकी एक अप्रभावी साधन के रूप में आलोचना की जाती है जो वशिष्कृत आकलन के लिये अनुपयुक्त है।
- **सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (Socio-Economic and Caste Census- SECC):**
 - [SECC पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था](#), जिसका उद्देश्य अभाव के संकेतकों की पहचान करने के लिये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थितियों के बारे में सूचना एकत्र करना था।
 - यह विभिन्न जाति समूहों की आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिये वशिष्ट जाति नामों पर भी डेटा एकत्र करता है।
- **जनगणना और SECC के बीच अंतर:**
 - जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक सामान्य चित्र प्रदान करती है, जबकि [SECC का उपयोग राज्य सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने के लिये किया जाता है](#)।
 - [जनगणना अधिनियम 1948](#) के तहत जनगणना के आँकड़े गोपनीय होते हैं, जबकि SECC में संग्रहित व्यक्तिगत सूचना सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने या लाभ से वंचित करने हेतु उपयोग के लिये उपलब्ध होती है।
- **भारत में जाति-आधारित आँकड़ा संग्रह का इतिहास:**
 - भारत में जाति-आधारित आँकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है।
 - [वर्ष 1951 के बाद जातिगत आँकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया](#) ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके।
 - हालाँकि, बदलती सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का नए सरे से आव्हान किया जा रहा है।

जातिगत जनगणना का महत्त्व:

- **सामाजिक असमानता को दूर करने के लिये:**
 - भारत के कई हिस्सों में जाति-आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्यधारा में लाने में मदद कर सकती है।

- वभिन्न जातिसमूहों के वतिरण को समझकर, सामाजिक असमानता को दूर करने औरहाशयि पर अवस्थति समुदायों के उत्थान के लयि लक्षति नीतियों को लागू कयिा जा सकता है ।
- संसाधनों का समान वतिरण सुनश्चिति करने के लयि:
 - OBCs और अन्य समूहों की जनसंखया पर सटीक आँकड़े के बनिा संसाधनों का समान वतिरण सुनश्चिति करना कठनि है ।
 - जातगित जनगणना वभिन्न जातिसमूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थतियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है ।
 - यह नीतनरिमाताओं को ऐसी नीतियों के नरिमाण में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है जो प्रत्येक समूह की वशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और इस प्रकार समावेशी वकिस को बढ़ावा दे ।
- सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की नगिरानी के लयि:
 - OBCs और अन्य समूहों के लयि आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है । हालाँकि, जनसंखया पर उचति आँकड़े के बनिा इन नीतियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है ।
 - जातगित जनगणना ऐसी नीतियों के कार्यानवयन और परणामों की नगिरानी में मदद कर सकती है, जससे नीतनरिमाताओं को उनकी नरितरता और संशोधन के संबंध में सूचना-संपन्न नरिणय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है ।
- भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने के लयि:
 - जातभारतीय समाज का एक अभन्न अंग है, जो सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतशीलता को प्रभावति करती है ।
 - जातगित जनगणना भारतीय समाज की वविधिता की एक व्यापक तस्वीर प्रदान कर सकती है, जो सामाजिक ताने-बाने और वभिन्न जातिसमूहों के बीच परस्पर करयिा पर प्रकाश डाल सकती है ।
 - यह आँकड़ा सामाजिक गतशीलता की बेहतर समझ पाने में योगदान कर सकता है ।
- संवैधानिक अधदिश:
 - भारत का संवैधान भी जातगित जनगणना आयोजति कराने का पक्षधर है । [अनुच्छेद 340](#) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्गों की दशा की जाँच करने और इस संबंध में सरकारों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सफ़िराशें करने के लयि एक आयोग की नयुक्ति का प्रावधान करता है ।

जातगित जनगणना के वपिक्ष में तरक

- जातव्यवस्था की पुष्टि:
 - जातजनगणना के वरिोधियों का तरक है कि [जात-आधारति भेदभाव](#) अवैध है और जातगित जनगणना जातव्यवस्था को सबल ही करेगी ।
 - उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातगित पहचान के आधार पर वर्गीकृत करने के बजाय सभी नागरिकों के लयि व्यक्तगित अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रति करने को प्राथमकता दी जानी चाहयि ।
- जातियों को परभिषति करना कठनि:
 - जातियों को परभिषति करना एक जटलि मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियों और उपजातियाँ पाई जाती हैं । जातजनगणना के लयि जातियों की स्पष्ट परभिषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है ।
 - आलोचकों का तरक है कि इससे समाज में भ्रम, वविाद और वभिजन की वृद्धि की स्थतिबन सकती है ।
- सामाजिक वभिजन की वृद्धि:
 - कुछ लोगों का तरक है कि जातगित जनगणना से सामाजिक वभिजन की वृद्धि हो सकती है और इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रति करना बेहतर होगा ।
 - उनका मानना है कि लोगों में अंतर या पृथकता को उजागर करने के बजाय उनके बीच समानता पर बल देना राष्ट्रीय एकता के लयि अधिक लाभप्रद होगा ।

जातगित जनगणना पर सरकार का रुख:

- भारत सरकार ने वर्ष 2021 में [लोकसभा](#) में कहा था कि उसने नीतगित तौर पर जनगणना में SCs और STs के अलावा अन्य जात-वार आबादी की गणना नहीं करने का नरिणय लयिा है ।

सामाजिक-आर्थिक और जातजनगणना (SECC) की भूमिका क्या होगी?

- वर्ष 2011 में आयोजति SECC जातसंबंधी सूचना के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर व्यापक आँकड़ा एकत्र करने का एक प्रयास था ।
- हालाँकि, आँकड़े की गुणवत्ता और वर्गीकरण से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में वदियमान चतिाओं के कारण **SECC में एकत्र कयिा गए जातके कच्चे आँकड़े (raw data) को अभी तक जारी नहीं कयिा गया है या प्रभावी ढंग से इसका उपयोग नहीं कयिा गया है ।**
- कच्चे आँकड़े को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करने के लयि एक वशिषज्ज समूह का गठन कयिा गया था, लेकिन इसकी सफ़िराशें अभी भी कार्यानवयन के लयि लंबति हैं ।

आगे की राह:

- जातियों और उपजातियों के आँकड़े प्राप्त करने के लयि **ज़िला और राज्य स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन** आयोजति कयिा जा सकता है ।
- आँकड़े को चुनाव जीतने के लयि मतभेदों को गहरा करने और ध्रुवीकरण बढ़ाने का हथियार नहीं बनना चाहयि । इसे एक वृहत और वविधि लोकतंत्र में प्रतनिधित्व की अवधारणा के बखिराव और संकुचन का कारण नहीं बनना चाहयि ।

- आर्टफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्नगि जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है।
- OBCs के अंतर्गत आने वाले कम प्रतिनिधित्व प्राप्त उपजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये **OBCs का उपवर्गीकरण** किया जाना चाहिये, जिसके लिये **न्यायमूर्त रोहिंगी आयोग** ने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

नष्कर्ष:

यद्यपि जातगत जनगणना के पक्ष और वपिपक्ष, दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये OBCs एवं अन्य समूहों की आबादी पर सटीक आँकड़े का होना आवश्यक है। **जातगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की नगिरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है।** नीतिनिर्माताओं के लिये अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिये दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में जातगत जनगणना आयोजित कराने से संबद्ध महत्त्व और चुनौतियों की चर्चा कीजिये। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के कुछ उपाय भी सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. वर्ष 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत के जनसंख्या घनत्व में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
2. वर्ष 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर (घातीय) तीन गुना हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- जनसंख्या की घनता के महत्त्वपूर्ण संकेतकों में से एक जनसंख्या का घनत्व है। इसे प्रतिवर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- वर्ष 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर था और 1951 में यह 117 था। इस प्रकार घनत्व **दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई, न कि तीन गुना। अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- बीसवीं सदी की शुरुआत यानी वर्ष 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व 77 था और यह लगातार एक दशक से बढ़कर वर्ष 2001 में 324 तक पहुँच गया।
- वर्ष 2001 में औसत वार्षिक वृद्धिदर 1.93 थी, जबकि 1951 में यह 1.25 थी। इस प्रकार इसमें वृद्धि तो हुई लेकिन यह वृद्धिदोगुनी नहीं थी। अतः कथन 2 सही नहीं है।

अतः विकल्प (d) सही है।